संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़, रायपुर

विज्ञापन

ज्ञापन क्रमांक ...../2012/दिनांक .....

कृषि विभाग के अधीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के आवेदकों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा निर्धारित ओ.एम.आर. आवेदन पत्र **11.02.2013 से 22.02.2013 तक** आमंत्रित किये जाते हैं –

खण्ड ''अ''

रिक्त पद, विभागीय नियम एवं पाठ्यक्रम

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी – 36

अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 32% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14% तथा महिलाओं के लिये 30%, विकलॉगों के लिये 6% एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%।

क्र.	पद विभाग का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त पदों में से महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या 30%	(स) कालम (अ) में दर्शाये गए कुल पदों में से विकलांग श्रेणी के लिए 6%	(द) कॉलम (अ) में दर्शाये कुल पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%
		UR	SC	ST	OBC	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कृषि विभाग)	15	04	12	05	36	UR - 05 SC - 01 ST - 04 OBC - 01	UR - 02 SC - 00 ST - 00 OBC - 00	UR - 01 SC - 00 ST - 01 OBC - 00
							योग 11	**योग 02**	**योग 02**

1. **आवेदन पत्र डाकघर से प्राप्त करने की तिथि –**
   (अ) **11.02.2013 से 20.02.2013 तक सभी जिला मुख्यालय के प्रधान/मुख्य डाकघर से। डाकघरों से।**
   (ब) **21.02.2013 से 22.02.2013 तक केवल संभागीय मुख्यालय, रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर के प्रधान/मुख्य डाकघर से।**
2. **आवेदन पत्र डाकघर में जमा करने की अंतिम तिथि – 23.02.2013**
3. **परीक्षा तिथि– 17-03-2013, SUNDAY**

नियम :– वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,
सेवा श्रेणी – तृतीय श्रेणी कार्यपालिक
वेतनमान रू. – 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतनमान, मंहगाई भत्तें एवं अन्य भत्ते आदि प्राप्त होंगे।

आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ –

मान्यता प्राप्त **कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियॉत्रिकी/उद्यानिकी/ जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।**

पाठ्यक्रम :– कृषि 40 प्रतिशत, कृषि अभियांत्रिकी 20 प्रतिशत, उद्यानिकी 20 प्रतिशत, जैव प्रोद्यौगिकी 20 प्रतिशत विस्तृत पाठ्यक्रम **व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर** देखे जा सकते हैं ।

2) सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते :–

(अ) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
(ब) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(स) कोई भी उम्मीद्वार जिसमें विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नही होगा।
(द) छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)
(य) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्ति के संबंध में जारी समस्त दिशा–निर्देश लागू होंगे।
(र) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(एक) आयु –

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष छ.ग.के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष।
(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसी अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो।

(ड़) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो।

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें,

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

टीप–

(1) उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते है, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

टीप– (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अथ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ट) आयु सीमा संबधं में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) आयु सीमा :– दिनॉक 01.01.2013 को 35 वर्ष की आयु से अधिक न हो।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

विशेष छूट : निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी।

(3) (एक) (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(3) (एक) (2) महिलाओं के लिये आयु में शासन द्वारा नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(3) (एक) (3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2002/1/3, दिनॉक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी। जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रुप में सेवा की है, इसके लिये छह माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनु. जाति/जनजाति, अपिव. विधवा, परित्यकता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(3) (एक) (4) विधवा परित्यकता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये अधिकतम आयु 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

(3) (दो) (1) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी–3/18/85/3/1 दिनॉक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :– (1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) अंर्तजाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरुप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिकत छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण : यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने वाले के साथ–साथ ग्रीन कार्ड धारक तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु समीा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी। ग्रीनकार्ड अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी। यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हो तो उन्हे अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये दो वर्ष की ओर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा

अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी। समस्त छूट के पश्चात उम्मीद्वार की आयु अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण न करता हो।

(2) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(3) काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

(4) इस पद हेतु आपके आवेदन के आधार पर आपको सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु नियुक्ति तभी की जायेगी, जब आप विज्ञापन की शर्तो एवं विभागीय नियमों के आधार पर पात्र होंगे। अतः आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अहर्ता की जॉच स्वयं कर ले और अहर्ता के समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनहर्ता पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जा सकेगी।

(5) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र – ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न न करें । काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉ अवश्य प्रस्तुत करें । इसके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मान अस्वीकार किया जा सकता है और इस संबंध में विभाग/व्यापम द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा।

(5) अ जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिये सामान्यतः हाई स्कूल/हायर सकेण्डरी/मेट्रिकूलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अहर्ता का प्रमाण पत्र।

(5) ब शैक्षणिक अहर्ता का प्रमाण पत्र।

(5) स हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परिक्षाओं की अभिप्रमाणित अंक सूची जिन्हे आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।

(5) द अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो) अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करें। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनॉक से छह माह के भीतर के अवधि का ही मान्य किया जायेगा। काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीद्वारी समाप्त की जायेगी।

(5) य तदर्थ रुप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(5) र उपरांकित कंडिकाओं में उल्लेख के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र।

(5) ल उच्चतम आयु सीमा मे छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

(5) व उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

(5) श आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

(5) ष आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

परिवीक्षा :– सेवा में रिक्त पदों के विरूद्ध सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष कलावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(6) नियोक्ता का अनापत्ति पत्र :–

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर/निगमों/मंडल राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे व्यापम को भेज सकते है, परन्तु इसके तुरन्त पश्चात अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे विभाग को नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात यदि विभाग को एक माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विभाग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है।

(7) अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :–

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी कंडिका को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक के बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

खण्ड ''ब''

छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के निर्देश

[1] आवेदन पत्र क्रय करते समय आपको निम्न सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी :–

1 आवेदन पत्र क्रय करने की रसीद
2 ओ.एम.आर.आवेदन पत्र (लिफाफे के अन्दर)
3 भरा हुआ ओ.एम.आर.आवेदन पत्र (नमूनार्थ)

[2] परीक्षा शुल्क :–

वर्ग	परीक्षा शुल्क
अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	700.00
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	500.00

[3] आवेदन पत्र जमा करना :– भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा जिला मुख्यालय के प्रधान/मुख्य डाकघर में बिना डाक शुल्क के 23.02.2013 तक जमा किया जा सकेगा। जमा करने पर डाकघर द्वारा पावती दी जावेगी । लिफाफे में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के अतिरिक्त रसीद या अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें ।

[4] आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश :–

4.1 ओ.एम.आर.आवेदन पत्र को भलीभांति पढ़ लेवें, पश्चात सावधानीपूर्वक वांछित जानकारी भरें । ध्यान रहे कि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कांटछांट न हो ।

4.2 यदि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी चौखाने में भरी गयी जानकारी एवं उससे संबंधित गोले में भरी गयी जानकारी में अंतर पाया जाता है तो गोले में भरी गयी जानकारी को अंतिम माना जावेगा।

4.3 परीक्षा संपन्न होने के उपरांत ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी को बदलने के संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं के नाम एवं फोटो लेने की तारीख सहित रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकायें । फोटो पर हस्ताक्षर न किया जाये ।

विशेष :– भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भेजने के पूर्व उसकी फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।

[5] परीक्षा केन्द्र :– लिखित परीक्षा के लिए केवल बिलासपुर एवं रायपुर शहर में परीक्षा केन्द्र बनाये जायेंगें ।

परीक्षा पद्धति :– परीक्षा में कुल **100** प्रश्नों का, दो घंटे का एक ही प्रश्न पत्र होगा । प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट में नीले/काले डाट पेन से गोला लगाना होगा।

[6] मूल्यांकन पद्वति :–

प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक दिए जायेगें । परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेगें उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक दिए जायेगें । ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जायेगें।

दावा/आपत्ति के निराकरण :–

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है । यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ईमेल आई.डी. cgvyapam@gmail.com से भेजा जा सकता है । **बिना प्रमाण अथवा रोल नंबर अथवा नाम के दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा ।** प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है

तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है । **व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा ।**

[7] परीक्षा परिणाम :–

परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जावेगा जो परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेंगे तथा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा। व्यापम द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी नहीं की जाती है । आप इस परीक्षा हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं, यह आपकी जवाबदारी है । वांछित सभी प्रमाण पत्र संबंधित विभाग के समक्ष नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा, इसके अभाव में आपका चयन निरस्त कर प्रावीण्य सूची से मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा ।

[8] त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में देय अंक :–

परीक्षा उपरान्त छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण कर मॉडल उत्तर तैयार किया जाता है । विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न के त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किये जा सकते है :–

1 प्रश्न की संरचना गलत हो ,
2 उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो ,
3 कोई भी विकल्प सही न हों ,
4 एक भी उत्तर सही या स्पष्ट न हो
5 कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो, जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किये गये प्रश्नों के लिये सभी अभ्यर्थियों को उस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोनस अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किये गये प्रश्नों को हल किया हो या नहीं । मूल्यांकन पद्धति निम्नानुसार होगी – यदि 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में से दो प्रश्न निरस्त किये जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी के **85 उत्तर सही पाये जाते** हैं तो **बोनस अंक सहित** उसके कुल प्राप्त अंकों की गणना इस प्रकार होगी :–

$$\frac{\text{परीक्षार्थी के सही उत्तरों की संख्या} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{85 \times 100}{100 - 2} = 86.734$$

इसी आधार पर मेरिट निर्धारित होगी ।

[9] पुनर्गणना /पुनर्मूल्यांकन :–

छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा OMR पद्धति से किया जाता है । अतः इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

[10] परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card) –

(क) समय सीमा के अन्दर प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अभ्यर्थियों को परीक्षा के लगभग 10 दिवस के पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र TAC (Test Admit Card) डाक द्वारा प्रेषित करेगा । इसमें अभ्यर्थी की महत्वपूर्ण जानकारी यथा अभ्यर्थी का स्कैन्ड फोटो ग्राफ , परीक्षा केन्द्र का नाम, रोल नंबर, श्रेणी आदि अंकित की जायेगी । अभ्यर्थी इसकी भली–भांति जांच कर लें । यदि परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित जानकारी त्रुटि पूर्ण हो, तो वह त्रुटि सुधार हेतु तुरन्त छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक संशोधन करा लेवें । परीक्षा पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा । चाहे वह त्रुटि व्यापम कार्यालय स्तर पर ही क्यों न हुई हो ।

(ख) छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा के लिये जारी प्रवेश पत्र वापस लेने, रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(ग) अभ्यर्थी को परीक्षाकक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(घ) अल्टरनेट परीक्षा प्रवेश पत्र – छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट **cgvyapam.choice.gov.in** अथवा **www.cgvyapam.gov.in** पर परीक्षा के तीन दिन पूर्व जारी कर दिया जावेगा। वे अभ्यर्थी जिनको डाक द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त न हो, व्यापम की वेबसाइट से अल्टरनेट परीक्षा प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं । इंटरनेट से प्राप्त परीक्षा प्रवेश पत्र में रंगीन फोटोग्राफ (नाम तथा दिनांक प्लेट सहित) चिपकायें तथा परीक्षा में सम्मलित होने के लिये संबंधित केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो का प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है । एक रंगीन पासपोर्ट फोटो उपस्थिति पत्रक में चिपकाने हेतु ले जाना भी आवश्यक है ।

यदि किसी अभ्यर्थी को व्यापम कार्यालय द्वारा भेजा गया परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है और न ही व्यापम की वेबसाइट पर उसे जानकारी उपलब्ध होती है तो अभ्यर्थी स्वयं के दो पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटोग्राफ (नाम एवं दिनांक प्लेट सहित), आवेदन क्रय करने की रसीद, डाकघर में आवेदन पत्र जमा करने की रसीद तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो कापी के साथ परीक्षा शहर के परीक्षा समन्वय केन्द्र **(लीड कॉलेज)** पर जाकर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बनवाकर परीक्षा में सम्मलित हो सकते है । इस हेतु तथा अन्य **पत्राचार हेतु परीक्षा आवेदन फार्म को भेजने से पूर्व उसकी छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें।**

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर